कार्यालय सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)
दूरभाष क (0733)–2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई–मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / ऑनलाईन / 2017 / 5380 खंडवा, दिनांक 26/12/2017

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग खण्डवा

विषयः– आंवलिया मध्यम सिंचाई योजना डूब प्रभावित 54.60 हे. वनभूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध के संबंध में।
प्रस्ताव कमांक – FP/MP/IRRIG/29552/2017.

संदर्भः– आपका पत्र कमांक / कार्य / वनप्रकरण / 3735 दिनांक 14.11.2017।

–––000–––

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि आंवलिया मध्यम सिंचाई योजना डूब प्रभावित 54.60 हे. वनभूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध प्रस्तावित योजना का वन एवं राजस्व वनभूमि पर स्थल पर स्पष्ट सीमांकन कराया जाकर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत हेतु लेख किया गया था लेकिन मौके पर उपवनमण्डलाधिकारी पूर्व कालीभीत द्वारा बताया गया कि मौके पर सीमांकन नहीं किया गया है इससे वृक्षों की गणना नही हो पा रही है अतः मौके पर तत्काल सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

1. प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण की ईमेज एवं फोटोग्राफ्स KML एक्झाई फाईल की सीडी प्रस्तुत करे।
2. वनग्राम आंवलिया में डूब से प्रभावित हितग्राहियों के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन कृषकवार रकबे सहित प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

वन संरक्षक
वनमंडल सामान्य खंडवा

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / ऑनलाईन / 2017 / खंडवा, दिनांक

प्रतिलिपि : –

1– उपवनमंडलाधिकारी खण्डवा सामान्य की कार्यलयीन पत्र कमांक 3894 दिनांक 17.11.2017 के संदर्भ मे ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। 54.60 हे0 वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि की दस बर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मय KML फाईल एवं मानचित्र के साथ तत्काल प्रस्तुत करावें ।

2– उपवनमंडलाधिकारी पूर्व कालीभीत सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग – 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय–सीमा में प्रस्तुत करावें।

3– परिक्षेत्राधिकारी पूर्व कालीभीत / आवंलिया सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। भाग –2 में आवश्यक प्रविष्ठि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से समय–सीमा में प्रस्तुत करें।

4– परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर कार्यालयीन पृ.क. 3894 दिनांक 17.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। पूर्ण प्रतिवेदन उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।

Sd/-
वन संरक्षक
वनमण्डल सामान्य खण्डवा